रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230531
CG-DL-E-19102021-230531

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] **नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943**
No. 312] **NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

सं. एम-12029(11)/5/2020-ओएमसी-पीएनजी.—भारत सरकार ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 2019 के संकल्प संख्या पी-12029 (11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी द्वारा नई कंपनियों को परिवहन ईंधनों (एमएस और एचएसडी) के विपणन का प्राधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इस संकल्प में प्रावधान किया गया है कि प्राधिकार स्वीकृत करने के पांच वर्षों के भीतर प्राधिकृत कंपनी द्वारा अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों, जिन्हें भारत सरकार की दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या पी-23015/1/2003-विपणन में परिभाषित किया गया है, में अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) के कम से कम 5 प्रतिशत खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करना अपेक्षित है।

2. अब अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों की सूची की समीक्षा की गई है और दिनांक 5 अगस्त, 2003 की उक्त अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सरकार दिनांक 8 नवम्बर, 2019 के उक्त संकल्प के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को "दूरस्थ क्षेत्रों" के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :-

(i) उन जिलों को छोड़कर, जिनमें डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगाई गांव और नुमालीगढ़ रिफाइनरियां पड़ती है, पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के सभी जिले;

(ii) जम्मू और कठवा जिलों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के सभी जिले;

(iii) लद्दाख संघ शासित प्रदेश के सभी जिले;

(iv) हिमाचल प्रदेश के सभी जिले;

(v) हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले;

(vi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी जिले;

(vii) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के सभी जिले;

(viii) बिहार राज्य में बंका, जमुई, खगड़िया, नवादा और शेखपुरा जिले;

(ix) छत्तीसगढ़ राज्य में बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दांतेवाड़ा, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, सुकमा और उत्तर बस्तर काकंर जिले;

(x) गुजरात राज्य में दाहोद और नर्मदा जिले;

(xi) झारखंड राज्य में छतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, खुंटी, लातेहार, पाकुर, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, साहिबगंज और सिमडेगा जिले;

(xii) कर्नाटक राज्य में रायचुर और यादगिर जिले;

(xiii) केरल राज्य में वायनाड़ जिला;

(xiv) मध्य प्रदेश राज्य में दमोह और सिंगरौली जिले;

(xv) महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली, नांदेड़ और वाशिम जिले;

(xvi) ओड़ीशा राज्य में धेनकनाल, गजपति, कांधामाल, कोरापुट्ट, मलकानगिरि, नवरंगपुर, नुआपारा और रायगढ़ा जिले;

(xvii) राजस्थान राज्य में धौलपुरा जिला;

(xviii) तेलंगाना राज्य में आदिलाबाद, जयशंकर-भूपालपल्ली और कोमाराम भीम जिले;

(xix) उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकूट और श्रावस्ती जिले;

(xx) पश्चिम बंगाल राज्य में दक्षिण दिनाजपुर जिले;

3. दूरस्थ क्षेत्रों की उपर्युक्त सूची निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों/एक्सप्रेस वेज पर स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केंद्रों को दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों के रूप में नहीं गिना जाएगा;

(ii) नगर-पालिका क्षेत्रों में स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केंद्रों को दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों के रूप में नहीं गिना जाएगा;

(iii) ओएमसीज़ दूरस्थ जिलों के भीतर उन ब्लाकों को प्राथमिकता दें जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है;

4. यह भी प्रावधान किया जाता है कि :-

(i) उपर्युक्त खंड – 3 में उल्लिखित शर्तें उन खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए लागू नहीं होंगी जिन्हें यह अधिसूचना जारी करने से पहले आशय पत्र (एलओआईज़) जारी कर दिए गए हैं।

(ii) जहां तक उपर्युक्त खंड-2 के उपखंड (viii) से (xx) में उल्लिखित जिलों का संबंध है, केवल उन्हीं खुदरा बिक्री केंद्रों को दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्र माना जाएगा जिन्हें इस अधिसूचना के जारी किए जाने के बाद स्थापित किया जाता है।

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, 13th October, 2021

No.M-12029(11)/5/2020-OMC-PNG.—The Government of India, *vide* its Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 8th November, 2019, had laid down guidelines for granting authorisation to market transportation fuels (MS and HSD) to the new entrants. The said Resolution provides that within five years of grant of authorisation, an authorised entity is required to set up at least 5% of its proposed number of retail outlets (ROs) in notified remote areas, which have been defined in the Government of India's Notification No. P-23015/1/2003-Mkt. dated 5th August, 2003.

2. Now, the list of the notified remote areas has been reviewed and in supersession of the said Notification dated 5th August, 2003, the Central Government hereby notifies the following areas as the "Remote Areas" for the purpose of the said Resolution dated 8th November, 2019:-

(i) All the districts of the North Eastern States (i.e., Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura) except the districts in which Digboi, Guwahati, Bongaigaon and Numaligarh refineries are located;

(ii) All the districts of the Union Territory of Jammu and Kashmir excluding the districts of Jammu & Kathwa;

(iii) All the districts of Union Territory of Ladakh;

(iv) All the districts of Himachal Pradesh;

(v) All the districts of Uttarakhand, excluding the districts of Haridwar and Udhamsingh Nagar;

(vi) All the districts of Andaman & Nicobar Islands;

(vii) All the districts of Lakshadweep Islands.

(viii) The districts of Banka, Jamui, Khagaria, Nawada and Sheikhpura in the State of Bihar;

(ix) The districts of Balrampur, Bastar, Bijapur, Dakshin Bastar Dantewada, Kondagaon, Mahasamund, Narayanpur, Sukma and Uttar Bastar Kanker in the State of Chhattisgarh;

(x) The districts of Dahod and Narmada in the State of Gujarat;

(xi) The districts of Chatra, Dumka, Garhwa, Godda, Gumla, Khunti, Latehar, Pakur, Pashchimi Singhbhum, Ramgarh, Sahibganj and Simdega in the State of Jharkhand;

(xii) The districts of Raichur and Yadgir in the State of Karnataka;

(xiii) The district of Wayanad in the State of Kerala;

(xiv) The districts of Damoh and Singrauli in the State of Madhya Pradesh;

(xv) The districts of Gadchiroli, Nanded and Washim in the State of Maharashtra;

(xvi) The districts of Dhenkanal, Gajapati, Kandhamal, Koraput, Malkangiri, Nabarangapur, Nuapada and Rayagada in the State of Odisha;

(xvii) The district of Dhaulpur in the State of Rajasthan;

(xviii) The districts of Adilabad, Jayashankar-Bhupalpalli and Kumuram Bheem in the State of Telangana;

(xix) The districts of Chitrakoot and Shrawasti in the State of Uttar Pradesh;

(xx) The district of Dakshin Dinajpur in the State of West Bengal.

3. The above list of remote areas is subject to the following conditions:-

(i) The retail outlets setup on National Highways/ State Highways/ Expressways shall not be counted as remote area outlets.

(ii) The retail outlets setup in municipal corporation areas shall not be counted as remote area outlets.

(iii) OMCs should give preference to unrepresented blocks within remote districts.

4. It is further provided that:-

(i) The conditions mentioned in clause 3 above shall not be applicable for those retail outlets for which Letters of Intent (LoIs) have been issued before the issue of this notification.

(ii) As regards the districts mentioned in the sub-clauses (viii) to (xx) of clause 2 above, only those retail outlets shall be considered as remote area outlets which are setup after the issue of this notification.

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.10.19 16:30:10 +05'30'